तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/04/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की ओर से रिप्लीकेशन उप०। विपक्षीगण वकील उप०। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 10 CPC में कथन है कि मौजा रामावली में स्थित वादग्रस्त खेत खसरा सं. 22 रकबा 20.7684 हैक्टेयर के सम्बन्ध में इन्ही पक्षकारों के बीच में न्यायालय में अन्तर्गत 53,188 RJ Act का एक वाद सं. 35/22 विचाराधीन है तथा जिसकी आगामी पेशी तारीख दिनांक 28/04/23 को नियत है। साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र 47/22 में न्यायालय द्वारा मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित हो रखा है। अतः न्यायालय में विचाराधीन वाद सं. 35/22 अमीन बनाम अली के निर्णय तक इस्तगासा प्रार्थना पत्र की कार्यवाही रोके जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी वकील का निवेदन है कि 251(ए) RJ Act के अनुसार 90 दिन में प्रकरण का निस्तारण करना अनिवार्य है। विपक्षीगण वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त अनवान के प्रकरण में लम्बा चलाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जबकि विपक्षीगण के खेत खसरा सं. 22 से 0.01 बिस्वा का रास्ता निकलता है जो रानव्व वाद सं. 35/22 से प्रभावित नही होता है चुकि जो रास्ता दिया गया है वो भी विपक्षीगण के सेटे सेटे से दिया है। विपक्षीगण का मकसद प्रकरण को लम्बा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	चलाने के उद्देश्य से किया है जो विधि विरुद्ध है तथा काबिले खारिज योग्य है। वकील उभयपक्षगण की बहस सुनी गई। विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायसंगत नहीं होने के कारण एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। वकील उभयपक्षगण की रास्ते संबन्धी मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। पत्रावली एवं मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः रास्ते संबन्धी निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो संख्या से कम हो। (हस्ताक्षर)	
28/04/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उप. । तहसीलदार (मु.क्षे.) खेड़वा से रा. आ. स. 33/2022 अनवान गुलाम वगैरा V/S अमीन वगैरा में निर्णय दिनांक 13/04/23 में समाविष्ट भूमि की क्षतिपूर्ति की स्वीकृति बाबत पालना रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। मु. क्षे. नि. खेड़वा द्वारा निर्धारित अभिधृति ग्राम समावली के ख. न. 22 रकबा 0.0081 हैक्टेयर व ख. न. 263/25 रकबा 0.6400 हैक्टेयर की ग्राम समावली की निर्धारित डीएलसी दर का दो गुणा से तथा अन्य संरचना के वास्तविक मूल्य से गणना करते हुए क्षतिपूर्ति राशि को पक्षकारों में विभाजन किया जावे। पत्रावली पुनः फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से कम हो। (हस्ताक्षर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 33/22 अन्तर्गत धारा 251 'ए' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण :– 1. गुलाम पुत्र हासम 2. कादर पुत्र हासम
3. रायधन पुत्र हासम 4. हसन पुत्र मिया
5. मियादाद पुत्र मिया 6. रसीद पुत्र उसमान
7. नसीर पुत्र उसमान 8. सादी पुत्र उसमान
9. सखी पुत्र उसमान 10. ओभाया पुत्र अलीमोहमद
11. साईंदाद पुत्र अलीमोहमद 12. इब्राहिम पुत्र लतीफ
13. मजूरअली पुत्र लतीफ 14. सुभान पुत्र लतीफ
15. राहमत पत्नि लतीफ जातियान–मुसलमान, निवासी–समावली, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. अमीन पुत्र मोहमद 2. अली उर्फ अलीमोहमद पुत्र अमीन जातियान–मुसलामन, निवासी–समावली, तहसील सेड़वा, जिला बाडमेर
3. राजस्थान सरकार जरिए– तहसीलदार सेड़वा

वकील प्रार्थी :– श्री मोहनलाल खिलेरी

विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के वकील :– श्री भवानीशंकर

सहायक कलक्टर

निर्णय

दिनांक 13/04/25

प्रार्थी गुलाम पुत्र हासम जाति मुसलमान निवासी समावली तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एक काश्तकार है। प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जाशुदा खेत मौजा सामावली पटवार हल्का चिचड़ासर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सेड़वा तहसील सेड़वा के खसरा सं. 23 रकबा 119.02 बीघा भूमि का आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है।

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है।

अतः प्रार्थीगण की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थीगण को जो रास्ता दिया जाना है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा हैक्ट. में	रास्ते की चौडाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अमीन पुत्र मोहमद, अली पुत्र अमीन कौम मुसलमान	22	128.06	20 फीट	0.01	समावली	1988	बा.सो.
2.	राज.सरकार	263/25	551.02	20 फीट	3.19	समावली	78111	गै.मू.धोरा

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया जा सकता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थीगण के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस लाल रंग से दर्शाया गया 20.00 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। कि प्रार्थीगण क्षतिपूर्ति की राशि डीएलसी दर की दो गुनी राशि राजकोष में अदा करेगें। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थीगण को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

तथा अपने रहवासी हेतु ढाणियों, टांके व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने के लिए विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 22 रकबा 128.06 बीघा किस्म बा0सो0 एवं विप्रार्थी संख्या 3 के खसरा संख्या 263/25 रकबा 551.02 बीघा किस्म गै0मू0 धोरा में चलकर सरकारी रास्ते तक आने जाने के लिए एक मात्र रास्ता है। प्रार्थीगण की जोत पर आने जाने हेतू कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 23 रकबा 119.02 बीघा के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीगण को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। झगड़ा होने की पूर्ण सम्भावना बनी रहती है। जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता भवानीशंकर ने वकालतनामा पेश किया विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के वकील को जवाब देने के अनेक अवसर देने के उपरान्त कोई जवाब पेश नहीं किया गया अतः इनका जवाब बन्द किया जाता है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार सेड़वा को उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित हुए। तहसीलदार सेड़वा से उक्त चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा प्राप्त प्राप्त हुई, जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट अनुसार भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा संख्या	रकबा बीघा में	रास्ते की ल0 व चौड़ाई फीट में	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अमीन पुत्र मोहमद, अली पुत्र अमीन कौम मुसलमान	22	128.06	20 फीट	0.01	समावली	1988	बा.सो.
2	राज.सरकार	263/25	551.02	20 फीट	3.19	समावली	78111	गै.मू.धोरा

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण को रास्ते की

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थी) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएससी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं के द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थीगण को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होगें।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 13/05/23 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(रामजी भाई कलबी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा